रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1398] नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2016/ज्येष्ठ 16, 1938
No. 1398] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2016/JYAISTHA 16, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2016

का.आ. 1997(अ).—यत: दिल्ली मुख्य योजना-2021 में इसकी समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था**,** उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक **31** जुलाई**,** 2015 की का.आ.सं. 2085(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र,असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त हुई आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद**,** दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

अध्याय क्र.सं.	पैरा/खण्ड /एमपीडी 2021 की टेबल	मौजूदा प्रावधान	संशोधन
1	2	3	4
अध्याय 7.0-उद्योग			
1.	[अनुबंध 7.0(III)]: निषिद्ध / नेगेटिव उद्योगों की सूची	10. पशु वध गृह, पशु रक्त प्रोसेसिंग (मौजूदा और पुन: स्थान निर्धारण को छोड़कर)	10. पशु वध गृह, पशु रक्त प्रोसेसिंग (मौजूदा और पुन: स्थान निर्धारण को छोड़कर और नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक पशु वध गृह की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते कि संबंधित एजेन्सियों से सभी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएं तथा इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अनुपालना की जाए)। ये पूरी तरह से संबंधित स्थानीय निकाय / प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली रा.रा.क्षे. दिल्ली की आवश्यकताओं पर आधारित होंगे ।

[फा. सं. के-12011/7/2016-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2016

S.O. 1997(E).—Whereas certain modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 2085(E) dated 31st July, 2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Development Authority and also approved at the meeting for the Delhi Development Authority.

3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

Chapter/ S.No.	**Para/ Clause/ Table of MPD-2021**	**Existing Provisions**	**Modifications**
1	**2**	**3**	**4**
CHAPTER 7.0-INDUSTRY			
1.	[Annexure -7.0 (III)]: PROHIBITED/ NEGATIVE LIST OF INDUSTRIES	10.Abattoirs, animals blood processing (except existing and relocation)	10. Abattoirs, animals blood processing (except existing, relocation **and** modern abattoir with latest technology shall be permitted subject to all clearances from concerned agencies and compliance with the National Green Tribunal's Orders in this regard). These will be dependent strictly on the need of the NCT of Delhi to be determined by the concerned local body/authority.

[F. No. K-12011/7/2016-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.